

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



एल.जी.डी. की अधिसूचना

**LGD Notification**  
**Creation of New District**

**Published By**

Name Sunita Yadav  
Designation Deputy Registrar  
Mobile no. 9461429781  
IP Address 164.100.145.26  
On date 29/09/2023

**Proposed By**

Name BORTDRLR  
Designation Tehsildar  
Mobile no. 9461429781  
IP Address 164.100.145.26  
On date 14/09/2023

District Name (In English)

Balotra

District Name (In Local language)

बालोतरा

District Effective Date

05/08/2023

**CONTRIBUTED DISTRICT LIST**

| District Code | District Name | Coverage Type |
|---------------|---------------|---------------|
| 90            | D             | PART          |

**CONTRIBUTED SUBDISTRICT LIST**


| Subdistrict Code | Subdistrict Name | Coverage Type |
|------------------|------------------|---------------|
| 7130             | T                | FULL          |
| 6052             | T                | FULL          |
| 579              | T                | FULL          |

| Subdsitriect Code | Subdsitriect Name | Coverage Type |
|-------------------|-------------------|---------------|
| 580               | T                 | FULL          |
| 578               | T                 | FULL          |
| 6907              | T                 | FULL          |
| 6904              | T                 | FULL          |

**CONTRIBUTED VILLAGES LIST**

---

| Village Code | Village Name | Coverage Type |
|--------------|--------------|---------------|
|--------------|--------------|---------------|

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| <br>सत्यमेव जयते | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक   | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|   | साधिकार प्रकाशित   | Published by Authority             |
|   | श्रावण 15, रविवार, शाके 1945-अगस्त 06, 2023<br><i>Sravana 15, Sunday, Saka 1945- August 06, 2023</i> |                                    |

**भाग-1(ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**राजस्व (गुप-1) विभाग**

**अधिसूचना**

**जयपुर, अगस्त 05, 2023**

**संख्या प. 9(18)राज-1/2022-(2) :-** राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

**जिलों का गठन/पुनर्गठन**

1. बालोतरा-बाड़मेर जिले का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला बालोतरा गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय बालोतरा होगा।

नवगठित बालोतरा जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती हैं:-

| नवगठित जिला | नाम उपखण्ड | नाम तहसील |
|-------------|------------|-----------|
| बालोतरा     | 1. बालोतरा | पचपदरा    |
|             |            | कल्याणपुर |
|             | 2. सिवाना  | सिवाना    |
|             |            | समदड़ी    |
|             | 3. बायतु   | बायतु     |
|             |            | गिड़ा     |
|             | 4. सिणधरी  | सिणधरी    |
|             |            |           |

2. बाड़मेर- पुनर्गठित बाड़मेर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:-

| जिला    | नाम उपखण्ड   | नाम तहसील       |
|---------|--------------|-----------------|
| बाड़मेर | 1. बाड़मेर   | बाड़मेर         |
|         |              | बाड़मेर ग्रामीण |
|         |              | बाटाडू          |
|         | 2. गड़रारोड़ | गड़रारोड़       |
|         | 3. रामसर     | रामसर           |
|         | 4. चौहटन     | चौहटन           |
|         |              | धनाउ            |
|         | 5. धोरीमन्ना | धोरीमन्ना       |

|  |                |             |
|--|----------------|-------------|
|  | 6. गुड़ामालानी | गुड़ामालानी |
|  |                | नोखडा       |
|  | 7. सेडवा       | सेडवा       |
|  | 8. शिव         | शिव         |

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

अपर्णा अरोरा,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 9(18)राज-1/2022-(2)

जयपुर, दिनांक : 05-08-2023

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है :-

**जिलों का गठन/पुनर्गठन**

1. **बालोतरा**—बाड़मेर जिले का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला बालोतरा गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय बालोतरा होगा।

नवगठित बालोतरा जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है :-

| नवगठित जिला | नाम उपखण्ड | नाम तहसील |
|-------------|------------|-----------|
| बालोतरा     | 1. बालोतरा | पचपदरा    |
|             |            | कल्याणपुर |
|             | 2. सिवाना  | सिवाना    |
|             |            | समदड़ी    |
|             | 3. बायतु   | बायतु     |
|             |            | गिड़ा     |
|             | 4. सिणधरी  | सिणधरी    |
|             |            |           |

2. **बाड़मेर**— पुनर्गठित बाड़मेर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :-

| जिला    | नाम उपखण्ड     | नाम तहसील       |
|---------|----------------|-----------------|
| बाड़मेर | 1. बाड़मेर     | बाड़मेर         |
|         |                | बाड़मेर ग्रामीण |
|         |                | बाटाडू          |
|         | 2. गड़रारोड़   | गड़रारोड़       |
|         | 3. रामसर       | रामसर           |
|         | 4. चौहटन       | चौहटन           |
|         |                | धनाउ            |
|         | 5. धोरीमन्ना   | धोरीमन्ना       |
|         | 6. गुड़ामालानी | गुड़ामालानी     |
|         |                | नोखडा           |
|         | 7. सेडवा       | सेडवा           |
|         | 8. शिव         | शिव             |

*Om*

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

01. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
02. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
03. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
04. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान सरकार
05. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव शासन सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि इस अधिसूचना से प्रभावित क्षेत्र के के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करने के साथ ही विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का श्रम करें :-  
(क) समस्त विधियों, नियमों एवं सरकारी अधिसूचनाओं आदि में अधिसूचना के अनुरूप आवश्यक संशोधन दर्शाया जावे, जिसमें उक्तानुसार जिला/संभाग का उल्लेख हो।  
(ख) जहां आवश्यकता हो वहां अधिकारियों के वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्यक्षेत्र, न्यायालयों तथा अन्य वैधानिक प्रशासनिक इकाईयों के लिए पुनः विज्ञप्तियां जारी की जावें।
06. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
07. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
08. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
09. समस्त विभागाध्यक्ष, राजकीय विभाग, राजस्थान सरकार
10. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर
11. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर
12. निदेशक, जनगणना विभाग राजस्थान, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर
13. मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर
14. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0, जयपुर
16. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण प्रकाशन में तुरन्त प्रकाशित कर 02 प्रतियां राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को शीघ्र भिजवाने बाबत।
17. महाडाकपाल राजस्थान, जयपुर
18. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर
19. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-2/5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
20. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर
21. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर
22. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
23. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर
24. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

25. अवर सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार, द्वितीय मंजिल सीएस डिविजन (M&G Sec.), मेजर ध्यानचन्द नेशनल स्टेडियम, इण्डिया गेट, नई दिल्ली-110002
26. निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नोलॉजी भवन, महरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016
27. सचिव, रक्षा/कृषि/ग्रामीण विकास/उद्योग/शिक्षा/वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
28. सचिव, रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड), T.G-IV, रेल भवन, नई दिल्ली-110001
29. निदेशक, राजस्थान भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ग्रेट आर्क भवन, सेक्टर-10, विद्याधरनगर, जयपुर-302039
30. महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, P.B. No. 37, हाथीबड़कला एस्टेट, देहरादून, उत्तराखण्ड
31. निदेशक, नॉर्दर्न प्रिंटिंग ग्रुप, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पोस्ट बाक्स नम्बर 28, हाथीबड़कला एस्टेट, देहरादून, उत्तराखण्ड-248001
32. महानिदेशक, डाक विभाग, (प्लानिंग डिवीजन) सूचना एवं प्रौद्योगिकी, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
33. रक्षित पत्रावली।

  
(जय सिंह)

संयुक्त शासन सचिव